


न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

कन्हैयालाल बनाम सहायक कलक्टर सांभर लेक व अन्य

केस संख्या 45/2025 (मुत्तकिल प्रार्थना पत्र)

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा का विस्तृत रूप | विशेष विवरण |
|------------------------------|---|-------------|
| 20.02.2025 | <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि सहायक कलक्टर सांभर लेक के पीठासीन अधिकारी श्री अरुण कुमार शर्मा आर.ए.एस. अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है।</p> <p>प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी ने सहायक कलक्टर सांभर लेक के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 227/2024 व प्रार्थना पत्र संख्या/2024 व उनवानी कन्हैयालाल व अन्य बनाम राधेश्याम व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्री अरुण कुमार शर्मा आर.ए.एस. से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>सहायक कलक्टर सांभर लेक के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री अरुण कुमार शर्मा आर.ए.एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से प्रार्थी द्वारा उनके विरुद्ध प्रस्तुत यह मुत्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव. शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुत्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">  (डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर जयपुर </p> | |